

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1899  
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली उत्पादन क्षमता की स्थिति

†1899. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार और निजी कंपनियों द्वारा कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुमोदित प्रस्तावों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबद्ध नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की संख्या को कम करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चल रही या पूरी हो चुकी और संस्थापित क्षमता के रूप में परियोजनाओं की वर्ष-वार, राज्य-वार और स्रोत-वार स्थिति क्या है;

(च) क्या भारतीय विद्युत उत्पादक कंपनियों ने विगत पांच वर्षों के दौरान अन्य देशों को विद्युत का निर्यात किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात की गई विद्युत की मात्रा और मूल्य तथा प्रमुख आयातक देशों का वर्ष-वार, कंपनी-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार विद्युत संयंत्र की स्थापना देश में एक गैर-लाइसेंसीकृत गतिविधि है। कोई भी उत्पादक कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता के बिना एक उत्पादन स्टेशन की स्थापना, संचालन और रखरखाव कर सकती है, यदि वह ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है।

मुख्य संयंत्र के लिए अनुबंधों के अवार्ड के साथ शुरू की गई परियोजनाओं का राज्यवार और वर्षवार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (31.10.2025 तक) के लिए संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

**(ख) से (ड) :** भारत ने नवंबर 2021 में यूएनएफसीसीसीसी पक्षकारों के 26वें सम्मेलन (सीओपी) में वर्ष 2070 तक 'निवल शून्य' प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की। भारत 'निवल शून्य' की ओर अर्थव्यवस्था के ऊर्जा पारगमन के साथ-साथ वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण अविभाज्य प्राथमिकताओं के रूप में ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और पहुंच को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत ने वर्ष 2030 की प्रतिबद्ध समय सीमा से पांच वर्ष पहले गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी संस्थापित विद्युत क्षमता के 50% के एनडीसी लक्ष्य को प्राप्त करके अपने ऊर्जा पारगमन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। दिनांक 31.10.2025 तक देश की कुल संस्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन संस्थापित क्षमता का हिस्सा लगभग 51.37% है।

भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और जीवन के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन से गैर-जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा पारगमन जैसे कई उपाय किए हैं। देश के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम **अनुबंध-III** पर हैं।

इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों (अर्थात् 2020-21 से 2024-25 तक) और वर्तमान वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से संचयी संस्थापित क्षमता की वर्षवार, स्रोतवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति का विवरण **अनुबंध-IV** पर है। 182.23 गीगावाट की चल रही आरई परियोजनाओं का स्रोतवार विवरण **अनुबंध-V** पर है।

**(च) और (छ) :** जी हां, भारतीय विद्युत उत्पादन कंपनियों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्य देशों को विद्युत का निर्यात किया है। भारत में अन्य देशों को विद्युत निर्यात करने वाले विद्युत संयंत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं	संस्थापित क्षमता वाली परियोजना	कंपनी का नाम	निर्यात	निर्यात के लिए आवंटित मात्रा (मेगावाट)
1.	सिंगरौली (2,000 मेगावाट)	एनटीपीसी	बांग्लादेश	50
2.	रिहंद-I (1,000 मेगावाट)			25
3.	रिहंद-II (1,000 मेगावाट)			15
4.	राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत स्टेशन दादरी-II (980 मेगावाट)			10
5.	कोरबा एसटीपीएस -I (2,100 मेगावाट)			40
6.	विंध्याचल एसटीपीएस-I (1,260 मेगावाट)			10

क्र.सं	संस्थापित क्षमता वाली परियोजना	कंपनी का नाम	निर्यात	निर्यात के लिए आवंटित मात्रा (मेगावाट)		
7.	विंध्याचल -II (1,000 मेगावाट)			15		
8.	विंध्याचल -III (1,000 मेगावाट)			15		
9.	सीपत-II (1,000 मेगावाट)			20		
10.	फरक्का एसटीपीएस चरण-I और II, 1,600 मेगावाट (3x200+2x500)			5		
11.	कहलगांव एसटीपीएस चरण-I, 840 मेगावाट (4x210)			10		
12.	कहलगांव एसटीपीएस चरण-II, 1500 मेगावाट (3x500)			20		
13.	तलचर एसटीपीएस चरण-I, 1000 मेगावाट (2x500)			15		
14.	सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड प्रोजेक्ट 2, आंध्र प्रदेश (1320 मेगावाट)			सेम्बकॉर्प गायत्री प्राइवेट लिमिटेड (एसजीपीएल)	450	
15.	एपीजेएल, गोड्डा (1600 मेगावाट)			अडानी पावर झारखंड लिमिटेड (एपीजेएल)	1600	
16.	जुनिपर ग्रीन कॉस्मिक प्राइवेट लिमिटेड, सोलर प्लांट (100 मेगावाट)			जुनिपर ग्रीन कॉस्मिक प्राइवेट लिमिटेड	भूटान	50

उपरोक्त के अलावा, डीवीसी (300 मेगावाट) और त्रिपुरा (160 मेगावाट) से बांग्लादेश और मणिपुर (3 मेगावाट) से म्यांमार तक विद्युत का निर्यात भी किया जा रहा है। एनएचपीसी (टनकपुर विद्युत स्टेशन) 'महाकाली संधि' के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 70 मिलियन यूनिट (एमयू) नेपाल को निर्यात भी करता है।

विद्युत का निर्यात विशुद्ध रूप से व्यावसायिक शर्तों पर खरीद और बिक्री संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसलिए, निर्यात की गई विद्युत के मूल्य के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

तापविद्युत परियोजनाएं, जिसके लिए पिछले 5 वर्षों में मुख्य संयंत्रों के लिए संविदा अवाइड की गई हैं, का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	मुख्य संयंत्र के लिए संविदा अवाइड की तिथि	क्षमता (मेगावाट)
<b>वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कोई संविदा अवाइड नहीं की गई।</b>						
<b>वित्त वर्ष 2022-23 में अवाइड की गई संविदा</b>						
1	तालचेर टीपीपी चरण-III	ओडिशा	केन्द्रीय	एनटीपीसी	सितम्बर-22	1,320
<b>वित्त वर्ष 2023-24 में अवाइड की गई संविदा</b>						
1	लारा एसटीपीपी चरण-II	छत्तीसगढ़	केन्द्रीय	एनटीपीसी	अगस्त-23	1,600
2	एनएलसी तलबीरा टीपीपी	ओडिशा	केन्द्रीय	एनएलसी	जनवरी-24	2,400
3	सिंगरौली एसटीपीपी, चरण-III	उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय	एनटीपीसी	मार्च-24	1,600
4	डीसीआरटीपीपी विस्तार	हरियाणा	राज्य	एचपीजीसीएल	फरवरी-24	800
5	महान एसटीपीपी, चरण-II	मध्य प्रदेश	निजी	महान एनर्जी लिमिटेड	अगस्त-23	1,600
<b>कुल</b>						<b>8,000</b>
<b>वित्त वर्ष 2024-25 में अवाइड की गई संविदा</b>						
1	सीपत एसटीपीपी चरण-III	छत्तीसगढ़	केन्द्रीय	एनटीपीसी	सितम्बर-24	800
2	गादरवारा एसटीपीपी चरण-II	मध्य प्रदेश	केन्द्रीय	एनटीपीसी	मार्च-25	1,600
3	कोडरमा टीपीएस, चरण-II	झारखंड	केन्द्रीय	डीवीसी	नवम्बर-24	1,600
4	नबीनगर एसटीपीपी, चरण-II	बिहार	केन्द्रीय	एनटीपीसी	मार्च-25	2,400
5	रघुनाथपुर टीपीएस, चरण-II	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय	डीवीसी	फरवरी-25	1,320
6	सिंगरेनी टीपीपी, चरण-II	तेलंगाना	केन्द्रीय	एससीसीएल	फरवरी-25	800
7	उकाई टीपीपी	गुजरात	राज्य	जीएसईसीएल	मार्च-25	800
8	कोराडी टीपीएस चरण-V	महाराष्ट्र	राज्य	एमएसपीजीसीएल	फरवरी-25	1,320
9	कोरबा (पश्चिम) एससीटीपीपी	छत्तीसगढ़	राज्य	सीएसपीजीसीएल	मार्च-25	1,320
10	रायपुर एक्सटेंशन टीपीपी चरण-II	छत्तीसगढ़	निजी	अडानी पावर	जून-24	1,600
11	रायगढ़ यूएससीटीपीपी, चरण-II	छत्तीसगढ़	निजी	अडानी पावर	अक्तूबर-24	1,600
12	महान एसटीपीपी, चरण-III	मध्य प्रदेश	निजी	महान एनर्जी लिमिटेड	नवम्बर-24	1,600
13	दरलीपल्ली-II	ओडिशा	केन्द्रीय	एनटीपीसी	सितम्बर-24	800
14	तेलंगाना चरण II	तेलंगाना	केन्द्रीय	एनटीपीसी	नवम्बर-24	2,400
15	मिर्जापुर टीपीएस	उत्तर प्रदेश	निजी	अडानी पावर	जून-24	1,600
16	कवाई चरण II	राजस्थान	निजी	अडानी पावर	अगस्त-24	3,200
17	सालबोनी एसटीपीपी	पश्चिम बंगाल	निजी	जेएसडब्ल्यू	फरवरी-25	1,600
<b>कुल</b>						<b>26,360</b>
<b>वित्त वर्ष 2025-26 में अवाइड की गई संविदा</b>						
1	मेजा-II	उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय	एनटीपीसी-यूपी-जेवी	सितम्बर-25	2,400
2	अमरकंटक टीपीएस	मध्य प्रदेश	राज्य	एमपीपीजीसीएल	सितम्बर-25	660
3	सतपुड़ा टीपीपी (सारनी) यू#12	मध्य प्रदेश	राज्य	एमपीपीजीसीएल	सितम्बर-25	660
4	पीरपैती टीपीएस	बिहार	निजी	अदानी पावर	अगस्त-25	2,400
5	अनूपपुर टीपीपी टीएच-II	मध्य प्रदेश	निजी	एम बी पावर	अगस्त-25	800
6	अडानी पावर लिमिटेड अनूपपुर टीपीपी	मध्य प्रदेश	निजी	अदानी पावर	अगस्त-25	1,600
7	टोरेंट पावर	मध्य प्रदेश	निजी	टोरेंट पावर	अगस्त-25	1,600
8	अडानी पावर लिमिटेड असम टीपीपी	असम	निजी	अदानी पावर	नवम्बर-25	3,200
<b>कुल</b>						<b>13,320</b>
<b>महा योग</b>						<b>49,000</b>

पिछले 5 वर्षों के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार और वर्तमान वर्ष 31.10.2025 तक संस्थापित क्षमता (कोयला और लिग्नाइट आधारित)

क. दिनांक 31.03.2021, 31.03.2022 और 31.03.2023 को स्थापित क्षमता (कोयला और लिग्नाइट आधारित)

क्र.सं.	राज्य	दिनांक 31.03.2021 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		दिनांक 31.03.2022 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		दिनांक 31.03.2023 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	
		कोयला	लिग्नाईट	कोयला	लिग्नाईट	कोयला	लिग्नाईट
1.	आंध्र प्रदेश	11,590	0	11,590	0	12,390	0
2.	असम	750	0	750	0	750	0
3.	बिहार	7,050	0	8,400	0	8,400	0
4.	छत्तीसगढ़	23,688	0	23,688	0	23,688	0
5.	गुजरात	14,692	1,400	14,692	1,400	14,692	1,400
6.	हरियाणा	5,330	0	5,330	0	5,330	0
7.	झारखंड	4,460	0	4,250	0	4,910	0
8.	कर्नाटक	9,480	0	9,480	0	9,480	0
9.	मध्य प्रदेश	21,950	0	21,950	0	21,950	0
10.	महाराष्ट्र	24,966	0	23,856	0	23,856	0
11.	उड़ीसा	9,800	0	9,540	0	9,540	0
12.	पंजाब	5,680	0	5,680	0	5,680	0
13.	राजस्थान	8,240	1,580	8,900	1,580	8,900	1,580
14.	तमिलनाडु	9,520	3,640	10,045	3,640	10,045	3,640
15.	तेलंगाना	7,573	0	7,843	0	7,843	0
16.	उत्तर प्रदेश	23,729	0	24,389	0	24,295	0
17.	पश्चिम बंगाल	14,177	0	13,697	0	13,487	0
<b>कुल (मेगावाट)</b>		<b>2,02,675</b>	<b>6,620</b>	<b>2,04,080</b>	<b>6,620</b>	<b>2,05,236</b>	<b>6,620</b>
<b>कुल [कोयला+लिग्नाईट] (मेगावाट)</b>		<b>2,09,295</b>		<b>2,10,700</b>		<b>2,11,856</b>	

ख . दिनांक 31.03.2024, 31.03.2025 और वर्तमान वर्ष 31.10.2025 तक संस्थापित क्षमता (कोयला और लिग्नाइट आधारित)

क्र.सं.	राज्य	दिनांक 31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		दिनांक 31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		दिनांक 31.03.2025 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	
		कोयला	लिग्नाईट	कोयला	लिग्नाईट	कोयला	लिग्नाईट
1.	आंध्र प्रदेश	13,190	0	13,190	0	13,890	0
2.	असम	750	0	750	0	750	0
3.	बिहार	9,060	0	9,060	0	9,510	0
4.	छत्तीसगढ़	23,688	0	23,688	0	24,093	0
5.	गुजरात	14,692	1,400	14,692	1,400	14,692	1,400
6.	हरियाणा	5,330	0	5,330	0	5,330	0
7.	झारखंड	5,570	0	5,570	0	7,030	0
8.	कर्नाटक	9,480	0	9,480	0	9,480	0
9.	मध्य प्रदेश	22,000	0	22,000	0	21,170	0
10.	महाराष्ट्र	24,006	0	24,666	0	23,316	0
11.	उड़ीसा	9,540	0	9,600	0	9,950	0
12.	पंजाब	5,680	0	5,680	0	5,680	0
13.	राजस्थान	9,200	1,580	9,200	1,580	9,200	1,580
14.	तमिलनाडु	10,459	3,640	10,523	3,640	10,523	3,640
15.	तेलंगाना	9,443	0	10,243	0	11,043	0
16.	उत्तर प्रदेश	25,395	0	28,035	0	29,355	0
17.	पश्चिम बंगाल	13,487	0	13,487	0	13,247	0
कुल (मेगावाट)		2,10,970	6,620	2,15,193	6,620	2,18,258	6,620
कुल [कोयला+लिग्नाईट] (मेगावाट)		2,17,590		2,21,813		2,24,878	

देश के ऊर्जा मिश्रण में गैर-जीवाश्म भाग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण निम्नानुसार है:

- i. 30 जून 2025 तक शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2032 तक माफ कर दिया गया है।
- ii. ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- iii. नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) आरई विद्युत क्रय के लिए नियमित रूप से बोलियां आमंत्रित कर रही हैं।
- iv. स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- v. आरई ट्रेजेक्ट्री के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- vi. नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नई अंतः राज्य पारेषण लाइन बिछाने और नए सब-स्टेशन क्षमता निर्माण को वित्त पोषित किया गया है।
- vii. बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की स्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।
- viii. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए), के तहत नई सौर ऊर्जा स्कीम (आदिवासी और पीवीटीजी गतिविधियां/गांवों के लिए) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम शुरू की गई हैं।
- ix. आरई खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरसीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू होता है, की गैर-अनुपालना पर शास्तियां लगायी जाएंगी।
- x. "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यनीति" जारी की गई है।
- xi. एकसर्चेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) शुरू किया गया है।
- xii. सौर पीवी मॉड्यूल के लिए आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम शुरू की गई है।

## दिनांक 31.03.2021 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत-वार और राज्य-वार संचयी संस्थापित क्षमता का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़ी जल विद्युत	लघु जल विद्युत	पवन ऊर्जा	जैव ऊर्जा	सौर ऊर्जा	कुल आरई
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	1,610	162.11	4,096.7	536.04	4,291.34	10,696
2	अरुणाचल प्रदेश	1,115	131.11	0	0	10.16	1,256.3
3	असम	350	34.11	0	2	51.56	437.67
4	बिहार	0	70.7	0	125.7	180.23	376.63
5	छत्तीसगढ़	120	76	0	245.31	445.21	886.52
6	गोवा	0	0.05	0	0.34	7.56	7.95
7	गुजरात	1,990	82.69	8,561.8	99.87	4,469.87	15,204
8	हरियाणा	0	73.5	0	216.75	472.26	762.51
9	हिमाचल प्रदेश	9,920.02	936.11	0	10.2	50.28	10,917
10	जम्मू और कश्मीर	3449	185.98	0	0	42.13	3677.1
11	झारखंड	210	4.05	0	4.3	69.86	288.21
12	कर्नाटक	3,644.2	1,280.7	4,938.6	1,901.9	7,383.88	19,149
13	केरल	1,856.5	230.02	62.5	2.5	277.4	2,428.9
14	मध्य प्रदेश	2,235	99.71	2,519.9	127.66	2,544.71	7,527
15	महाराष्ट्र	3,047	379.58	5,000.3	2,632.2	2,323.79	13,383
16	मणिपुर	105	5.45	0	0	11.39	121.84
17	मेघालय	322	32.53	0	13.8	3.85	372.18
18	मिजोरम	60	36.47	0	0	6.98	103.45
19	नागालैंड	75	30.67	0	0	2.91	108.58
20	ओडिशा	2,142.25	88.63	0	59.22	425.53	2,715.6
21	पंजाब	1,096.3	173.55	0	491.65	982.3	2,743.8
22	राजस्थान	411	23.85	4,326.8	125.08	5,925.6	10,812
23	सिक्किम	2,169	52.11	0	0	1.94	2,223.1
24	तमिलनाडु	2,178.2	123.05	9,608	1,039.9	4,527.47	17,477
25	तेलंगाना	2,405.6	90.87	128.1	210.48	3,961.54	6,796.6
26	त्रिपुरा	0	16.01	0	0	13.56	29.57
27	उत्तर प्रदेश	501.6	49.1	0	2,176.1	1,836.27	4,563.1
28	उत्तराखंड	3,855.35	214.32	0	139.44	380.13	4,589.2
29	पश्चिम बंगाल	1,341.2	98.5	0	321.09	162.65	1,923.4
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	5.25	0	0	29.46	34.71
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	45.97	45.97
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	5.46	5.46
33	दमन और दीव	0	0	0	0	40.55	40.55
34	दिल्ली	0	0	0	52	194.43	246.43
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	3.27	3.27
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	9.51	9.51
37	अन्य	0	0	4.3	0	45.01	49.31
	<b>कुल (मेगावाट)</b>	<b>46,209.22</b>	<b>4,786.8</b>	<b>39,247</b>	<b>10,534</b>	<b>41,236</b>	<b>1,42,013</b>

## दिनांक 31.03.2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत-वार और राज्य-वार संचयी संस्थापित क्षमता का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़ी जल विद्युत (मेगावाट)	लघु जल विद्युत (मेगावाट)	पवन ऊर्जा (मेगावाट)	जैव ऊर्जा (मेगावाट)	सौर ऊर्जा (मेगावाट)	कुल आरई (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	1,610	162.11	4,096.65	566.04	4,386.8	10,821.56
2	अरुणाचल प्रदेश	1,115	131.11	0	0	11.23	1,257.34
3	असम	350	34.11	0	2	117.94	504.05
4	बिहार	0	70.7	0	126.02	190.63	387.35
5	छत्तीसगढ़	120	76	0	275	518.08	989.08
6	गोवा	0	0.05	0	0.34	19.95	20.34
7	गुजरात	1,990	89.39	9,209.22	109.26	7,180	18,577.9
8	हरियाणा	0	73.5	0	258	910.63	1,242.13
9	हिमाचल प्रदेश	10,263.02	954.11	0	10.2	76.16	11,303.49
10	जम्मू और कश्मीर	3,449	144.68	0	0	46.93	3,640.61
11	झारखंड	210	4.05	0	4.3	88.79	307.14
12	कर्नाटक	3,689.2	1,280.73	5,130.9	1,902.2	7,590.8	19,593.79
13	केरल	1,856.5	242.52	62.5	2.5	363.18	2,527.2
14	लद्दाख	0	39.64	0	0	7.8	47.44
15	मध्य प्रदेश	2,235	99.71	2,519.89	131.33	2,718	7,703.88
16	महाराष्ट्र	3,047	381.08	5,012.83	2,632.2	2,631	13,704.08
17	मणिपुर	105	5.45	0	0	12.25	122.7
18	मेघालय	322	32.53	0	13.8	4.15	372.48
19	मिजोरम	60	36.47	0	0	7.9	104.37
20	नागालैंड	75	30.67	0	0	3.04	108.71
21	ओडिशा	2,154.55	106.63	0	59.22	451.24	2,771.64
22	पंजाब	1,096.3	176.1	0	491.65	1,100.1	2,864.12
23	राजस्थान	411	23.85	4,326.82	125.08	12,565	17,451.62
24	सिक्किम	2,282	52.11	0	0	4.68	2,338.79
25	तमिलनाडु	2,178.2	123.05	9,866.37	1,042.7	5,067.2	18,277.5
26	तेलंगाना	2,405.6	90.87	128.1	219.74	4,520.5	7,364.79
27	त्रिपुरा	0	16.01	0	0	14.89	30.9
28	उत्तर प्रदेश	501.6	49.1	0	2,190	2,244.4	4,985.12
29	उत्तराखंड	3,855.35	218.82	0	139.44	573.54	4,787.15
30	पश्चिम बंगाल	1,341.2	98.5	0	322.45	166	1,928.15
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	5.25	0	0	29.49	34.74
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	55.17	55.17
33	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	5.46	5.46
34	दमन एवं दीव	0	0	0	0	40.72	40.72
35	दिल्ली	0	0	0	59	211.12	270.12
36	लक्षद्वीप	0	0	0	0	3.27	3.27
37	पुदुचेरी	0	0	0	0	13.69	13.69
38	अन्य	0	0	4.3	0	45.01	49.31
	<b>कुल (मेगावाट)</b>	<b>46,722.52</b>	<b>4,848.9</b>	<b>40,357.58</b>	<b>10,682</b>	<b>53,997</b>	<b>1,56,607.9</b>

दिनांक 31.03.2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत-वार और राज्य-वार संचयी संस्थापित क्षमता का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बडी जल विद्युत	लघु जल विद्युत	पवन ऊर्जा	जैव ऊर्जा	सौर ऊर्जा	कुल आरई
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	1,610	163.31	4,096.7	566.03	4,534.2	10,970.18
2	अरुणाचल प्रदेश	1,115	133.11	0	0	11.64	1,259.75
3	असम	350	34.11	0	2	147.92	534.03
4	बिहार	0	70.7	0	126.02	192.89	389.61
5	छत्तीसगढ़	120	76	0	275	948.82	1,419.82
6	गोवा	0	0.05	0	0.34	26.49	26.88
7	गुजरात	1,990	91.64	9,978.9	110.73	9,254.6	21,425.86
8	हरियाणा	0	73.5	0	259.43	1,029.2	1,362.09
9	हिमाचल प्रदेश	10,263.02	969.71	0	10.2	87.49	11,330.42
10	जम्मू और कश्मीर	3,449	146.68	0	0	49.44	3,645.12
11	झारखंड	210	4.05	0	4.3	105.84	324.19
12	कर्नाटक	3,689.2	1,280.73	5,295	1,902.2	8,241.4	20,408.44
13	केरल	1,864.15	266.52	62.5	2.5	761.44	2,957.11
14	लद्दाख	0	40.99	0	0	7.8	48.79
15	मध्य प्रदेश	2,235	123.71	2,844.3	134.94	2,802.1	8,140.08
16	महाराष्ट्र	3,047	381.08	5,012.8	2,640.7	4,722.9	15,804.5
17	मणिपुर	105	5.45	0	0	12.28	122.73
18	मेघालय	322	32.53	0	13.8	4.15	372.48
19	मिजोरम	60	45.47	0	0	28.01	133.48
20	नागालैंड	75	32.67	0	0	3.04	110.71
21	ओडिशा	2,154.55	115.63	0	59.22	453.17	2,782.57
22	पंजाब	1,096.3	176.1	0	522.27	1,167.3	2,961.93
23	राजस्थान	411	23.85	5,193.4	125.08	17,056	22,809.05
24	सिक्किम	2,282	55.11	0	0	4.68	2,341.79
25	तमिलनाडु	2,178.2	123.05	10,017	1,043.7	6,736.4	20,098.55
26	तेलंगाना	2,405.6	90.87	128.1	220.37	4,666	7,510.97
27	त्रिपुरा	0	16.01	0	0	17.6	33.61
28	उत्तर प्रदेश	501.6	49.1	0	2,216.7	2,515.2	5,282.65
29	उत्तराखंड	3,975.35	218.82	0	139.44	575.53	4,909.14
30	पश्चिम बंगाल	1,341.2	98.5	0	343.1	179.98	1,962.78
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	5.25	0	0	29.91	35.16
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	58.69	58.69
33	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	5.46	5.46
34	दमन एवं दीव	0	0	0	0	41.01	41.01
35	दिल्ली	0	0	0	84	218.26	302.26
36	लक्षद्वीप	0	0	0	0	3.27	3.27
37	पुडुचेरी	0	0	0	0	35.53	35.53
38	अन्य	0	0	4.3	0	45.01	49.31
	<b>कुल (मेगावाट)</b>	<b>46,850.17</b>	<b>4,944.3</b>	<b>42,633</b>	<b>10,802</b>	<b>66,780</b>	<b>1,72,010</b>

## दिनांक 31.03.2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत-वार और राज्य-वार संचयी संस्थापित क्षमता का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़ी जल विद्युत	लघु जल विद्युत	पवन ऊर्जा	जैव ऊर्जा	सौर ऊर्जा	कुल आरई
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	1,610	163.31	4,096.7	574.39	4,585	11,029.3
2	अरुणाचल प्रदेश	1,115	133.11	0	0	11.79	1,259.9
3	असम	350	34.11	0	2	156.18	542.29
4	बिहार	0	70.7	0	140.22	239.23	450.15
5	छत्तीसगढ़	120	76	0	275	1,212.4	1,683.39
6	गोवा	0	0.05	0	1.94	43.48	45.47
7	गुजरात	1,990	91.64	11,723	112.48	13,545	27,461.7
8	हरियाणा	0	73.5	0	283.7	1,475.7	1,832.92
9	हिमाचल प्रदेश	10,281.02	969.71	0	10.2	95.23	11,356.2
10	जम्मू और कश्मीर	3,449	169.93	0	0	65.44	3,684.37
11	झारखंड	210	4.05	0	19.1	162.4	395.55
12	कर्नाटक	3,689.2	1,280.73	6,019.6	1,907.7	8,544.7	21,441.9
13	केरल	1,864.15	276.52	63.5	2.5	1,022.8	3,229.46
14	लद्दाख	0	42.99	0	0	7.8	50.79
15	मध्य प्रदेश	2,235	123.71	2,844.3	134.94	3,995.4	9,333.37
16	महाराष्ट्र	3,047	382.28	5,208	2,643.2	6,249.7	17,530.1
17	मणिपुर	105	5.45	0	0	13.04	123.49
18	मेघालय	322	55.03	0	13.8	4.24	395.07
19	मिजोरम	60	45.47	0	0	30.31	135.78
20	नागालैंड	75	32.67	0	0	3.17	110.84
21	ओडिशा	2,154.55	115.63	0	59.22	495.63	2,825.03
22	पंजाब	1,096.3	176.1	0	567.25	1,324.3	3,163.92
23	राजस्थान	411	23.85	5,195.8	125.64	21,348	27,103.9
24	सिक्किम	2,282	55.11	0	0	7.04	2,344.15
25	तमिलनाडु	2,178.2	123.05	10,604	1,045.5	8,211.4	22,161.6
26	तेलंगाना	2,405.6	90.87	128.1	221.67	4,758.2	7,604.4
27	त्रिपुरा	0	16.01	0	0	18.46	34.47
28	उत्तर प्रदेश	501.6	49.1	0	2,226.1	2,920.3	5,697.17
29	उत्तराखंड	4,035.35	218.82	0	142.24	575.53	4,971.94
30	पश्चिम बंगाल	1,341.2	98.5	0	348.36	194.07	1,982.13
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	5.25	0	0	29.91	35.16
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	65.52	65.52
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	46.47	46.47
34	दिल्ली	0	0	0	84	256.51	340.51
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	4.97	4.97
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	49.91	49.91
37	अन्य	0	0	4.3	0	45.01	49.31
	<b>कुल (मेगावाट)</b>	<b>46,928.17</b>	<b>5,003.25</b>	<b>45,887</b>	<b>10,941</b>	<b>81,814</b>	<b>1,90,573</b>

## दिनांक 31.03.2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत-वार और राज्य-वार संचयी संस्थापित क्षमता का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़ी जल विद्युत (मेगावाट)	लघु जल विद्युत (मेगावाट)	पवन ऊर्जा (मेगावाट)	जैव ऊर्जा (मेगावाट)	सौर ऊर्जा (मेगावाट)	कुल आरई (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	1,610	163.31	4,377.2	594.02	5,370	12,114
2	अरुणाचल प्रदेश	1,115	140.61	0	0	14.85	1,270.5
3	असम	350	34.11	0	2	196.54	582.65
4	बिहार	0	70.7	0	140.22	328.34	539.26
5	छत्तीसगढ़	120	76	0	285.42	1,347	1,828.5
6	गोवा	0	0.05	0	1.94	56.44	58.43
7	गुजरात	1,990	106.64	12,677	122.25	18,497	33,393
8	हरियाणा	0	73.5	0	311.47	2,065	2,449.9
9	हिमाचल प्रदेश	10,981.01	1,000.7	0	10.2	204.26	12,196
10	जम्मू और कश्मीर	3,360	189.93	0	0	74.49	3,624.4
11	झारखंड	210	4.05	0	20.14	199.87	434.06
12	कर्नाटक	3,689.2	1,284.7	7,351.1	1,913	9,679.7	23,918
13	केरल	1,964.15	276.52	71.27	2.5	1,538.9	3,853.4
14	लद्दाख	89	45.79	0	0	7.8	142.59
15	मध्य प्रदेश	2,235	123.71	3,195.2	155.46	5,118.4	10,828
16	महाराष्ट्र	3,047	384.28	5,284.6	2,998.3	10,687	22,401
17	मणिपुर	105	5.45	0	0	13.79	124.24
18	मेघालय	322	55.03	0	13.8	4.28	395.11
19	मिजोरम	60	45.47	0	0	30.39	135.86
20	नागालैंड	75	32.67	0	0	3.17	110.84
21	ओडिशा	2,154.55	115.63	0	64.22	624.44	2,958.8
22	पंजाब	1,096.3	176.1	0	576.59	1,421.4	3,270.4
23	राजस्थान	411	23.85	5,208.8	206.27	28,286	34,136
24	सिक्किम	2,282	55.11	0	0	7.56	2,344.7
25	तमिलनाडु	2,178.2	123.05	11,740	1,046.6	10,154	25,241
26	तेलंगाना	2,405.6	90.87	128.1	221.67	4,842.1	7,688.3
27	त्रिपुरा	0	16.01	0	0	21.24	37.25
28	उत्तर प्रदेश	501.6	49.1	0	2,309.1	3,364.1	6,223.9
29	उत्तराखंड	4,035.35	233.82	0	148.53	593.07	5,010.8
30	पश्चिम बंगाल	1,341.2	98.5	0	351.86	320.62	2,112.2
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	5.25	0	0	29.91	35.16
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	78.85	78.85
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	3.75	48.12	51.87
34	दिल्ली	0	0	0	84	313.4	397.4
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	4.97	4.97
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	54.51	54.51
37	अन्य	0	0	4.3	0	45.01	49.31
	<b>कुल (मेगावाट)</b>	<b>47,728.16</b>	<b>5,100.6</b>	<b>50,038</b>	<b>11,583</b>	<b>1,05,646</b>	<b>2,20,096</b>

**वर्तमान चालू वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 31.10.2025 तक) के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत-वार और राज्य-वार संचयी संस्थापित क्षमता का विवरण**

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बड़ी जल विद्युत	लघु जल विद्युत	पवन ऊर्जा	जैव ऊर्जा	सौर ऊर्जा	कुल आरई
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	3,290	163.31	4,397.78	594.02	5,925.6	14,371
2	अरुणाचल प्रदेश	1,115	140.61	0	0	15.42	1,271
3	असम	350	34.11	0	2	319.81	705.92
4	बिहार	0	70.7	0	140.22	411.14	622.06
5	छत्तीसगढ़	120	100.9	0	285.42	1,621.7	2,128
6	गोवा	0	0.05	0	1.94	69.54	71.53
7	गुजरात	1,990	113.3	14,493.38	129.85	24,143	40,870
8	हरियाणा	0	73.5	0	325.67	2,434.4	2,833.6
9	हिमाचल प्रदेश	11,421.01	1,000.71	0	10.2	310.28	12,742
10	जम्मू और कश्मीर	3,360	189.93	0	0	79.41	3,629.3
11	झारखंड	210	4.05	0	20.14	230.74	464.93
12	कर्नाटक	3,689.2	1,284.73	8,193.29	1,916.1	10,592	25,675
13	केरल	1,964.15	276.52	71.52	2.5	1,973.8	4,288.5
14	लद्दाख	89	45.79	0	0	11.4	146.19
15	मध्य प्रदेश	2,235	123.71	3,448.15	155.46	5,723.8	11,686
16	महाराष्ट्र	3,047	384.28	5,716.31	2,998.3	16,137	28,283
17	मणिपुर	105	5.45	0	0	17.52	127.97
18	मेघालय	322	55.03	0	13.8	4.28	395.11
19	मिज़ोरम	60	45.47	0	0	31.69	137.16
20	नागालैंड	75	32.67	0	0	3.17	110.84
21	ओडिशा	2,154.55	140.63	0	64.22	748.38	3,107.8
22	पंजाब	1,096.3	176.1	0	576.59	1,539.9	3,388.8
23	राजस्थान	411	23.85	5,208.75	207.52	35,338	41,189
24	सिक्किम	2,282	55.11	0	0	7.56	2,344.7
25	तमिलनाडु	2,178.2	123.05	11,938.34	1,046.6	11,472	26,758
26	तेलंगाना	2,405.6	90.87	128.1	221.67	5,033.5	7,879.7
27	त्रिपुरा	0	16.01	0	0	34.22	50.23
28	उत्तर प्रदेश	501.6	50.6	0	2,310.4	3,798	6,660.6
29	उत्तराखंड	4,535.35	233.82	0	149.57	837.7	5,756.4
30	पश्चिम बंगाल	1,341.2	98.5	0	351.86	320.62	2,112.2
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	5.25	0	0	31.42	36.67
32	चंडीगढ़	0	0	0	0	78.85	78.85
33	दादरा और नगर हवेली और दमन एव दीव	0	0	0	3.75	129.4	133.15
34	दिल्ली	0	0	0	85.17	373.3	458.47
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	6.57	6.57
36	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	73.41	73.41
37	अन्य	0	0	4.3	0	45.01	49.31
	<b>कुल (मेगावाट)</b>	<b>50,348</b>	<b>5,158.61</b>	<b>53,599.92</b>	<b>11,613</b>	<b>1,29,924</b>	<b>2,50,643</b>

## चल रही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	क्षेत्र	चल रही नवीकरणीय क्षमता (मेगावाट)
1	सौर ऊर्जा	69.18
2	पवन ऊर्जा	29.65
3	जैव ऊर्जा	---
4	लघु जल विद्युत	0.44
5	हाइब्रिड/राउंड द क्लॉक (आरटीसी)/व्यस्ततम विद्युत/ताप विद्युत+आरई बंडलिंग	57.63
<b>उप-जोड़</b>		<b>156.90</b>
6	बड़ी जल विद्युत	25.33
<b>कुल आरई</b>		<b>182.23</b>

\*\*\*\*\*